संख्या. ए-20011/1(5)/2026-हिंदी
भारत सरकार/ Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
Directorate of Coordination Police Wireless

खण्ड सं-9 के.स.का परिसर/Block No.9, C.G.O., Complex,
लोधी रोड ,नई दिल्ली -3/Lodhi Road, New Delhi-3
दिनांक/Date:- 07 जनवरी, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राजभाषा शील्ड योजना 2025-26 लागू करने के संबंध में।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 06.02.1979 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/12013/2/76-रा.भा.(क-2) एवं निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर 2025 तिमाही की बैठक का कार्यवृत्त की मद संख्या- 8 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालयों/अनुभागों/अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 31.03.2026) के लिए **"राजभाषा शील्ड योजना"** लागू की गई है।

2. उक्त योजना के अंतर्गत समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार के दिल्ली स्थित कार्यालयों/अनुभागों तथा देशभर में स्थित सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों को सम्मिलित किया गया है। मूल्यांकन के उपरांत निम्नलिखित चार (04) राजभाषा शील्ड प्रदान की जाएंगी—

(i) क्षेत्र 'क' के अंतर्गत आने वाले अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के लिए – एक शील्ड
(ii) क्षेत्र 'ख' के अंतर्गत आने वाले अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के लिए – एक शील्ड
(iii) क्षेत्र 'ग' के अंतर्गत आने वाले अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के लिए – एक शील्ड
(iv) दिल्ली स्थित कार्यालयों एवं मुख्यालय के अनुभागों के लिए – एक शील्ड

3. राजभाषा शील्ड प्रदान करने हेतु मूल्यांकन कुल 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिनका विवरण निम्नानुसार है :

- धारा 3(3) का अनुपालन – 10 अंक
- पत्राचार की स्थिति – 20 अंक
- हिंदी में प्राप्त पत्रों की स्थिति (राजभाषा नियम-5) – 10 अंक
- तिमाही रिपोर्ट समय से मुख्यालय को भेजना- 10 अंक
- हिंदी टंकण में प्रशिक्षण – 05 अंक
- हिंदी पखवाड़ा का आयोजन – 10 अंक
- रजिस्टरों में हिंदी में प्रविष्टियाँ – 05 अंक
- फाइलों में टिप्पण/नोटिंग – 05 अंक
- उपकरणों में द्विभाषी सुविधा – 05 अंक
- विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक – 05 अंक
- हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन – 05 अंक
- अवधि के दौरान राजभाषा प्रयोग में वृद्धि हेतु अन्य विशिष्ट गतिविधियां – 10 अंक

4. मापदंडों पर पुरस्कार निर्धारण हेतु आंकड़े वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त होने के पश्चात सभी अनुभागों/कार्यालयों/केन्द्रों से निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जायेंगे । योजना के अंतर्गत प्राप्त विवरणों/आंकड़ों के मूल्यांकन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा, जो निर्धारित मापदंडों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों/अनुभागों/केन्द्रों का चयन करेगी। आवश्यक होने पर समिति द्वारा भौतिक निरीक्षण भी किया जा सकता है।

5. समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार के मुख्यालय एवं सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार हेतु अधिकतम प्रयास करें तथा इस योजना में बढ़-चढ़ कर भाग लेते हुए अपने अनुभाग/कार्यालय/केन्द्र का उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित करें।

6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

अभिषेक यादव
07/01/2026

(अभिषेक यादव)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
ईमेल- ad-officiallanguage@dcpw.gov.in

प्रतिलिपिः-

1. निदेशक महोदय के निजी सचिवः कृपया सादर सूचनार्थ।
2. अपर निदेशक (I) के निजी सहायक: कृपया सादर सूचनार्थ।
3. अपर निदेशक (II) के निजी सहायक : कृपया सादर सूचनार्थ।
4. निदेशालय के सभी संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक ।
5. सभी अनुभाग अधिकारी/लेखा अधिकारी, स.नि.पु.बे. ।
6. प्रभारी, केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वंदे मातरम मार्ग, नई दिल्ली।
7. प्रभारी, पोलनेट हब, समन्वय सदन, सिरी फोर्ट रोड़, नई दिल्ली।
8. सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्र प्रभारीः विभाग की वेबसाईट के माध्यम से।
9. सूचना व प्रौधोगिकी अनुभाग - स. नि. पु. बे. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।